

भारत संधि नदी जल समझौता पर लाहौर-बैठक में भाग लेगा।

पाकस्तान के साथ सन्धि नदी जल समझौता (Indus Waters Treaty - IWT) के संदर्भ में अपने रुख में परिवर्तन करते हुए भारत ने एक अहम नरिणय लेते हुए, लाहौर में आयोजित होने वाली अगली स्थायी सन्धि आयोग (Permanent Indus Commission - PIC) की बैठक में भाग लेने संबंधी नमिन्तरण को अपनी स्वीकृत प्रदान कर दी है। एक वरषिठ अधिकारी ने स्पष्ट कथिा है कथिह पीआईसी की बाकी सभी बैठकों की भाँति एक सामान्य द्वपिक्षीय बैठक होगी, जसिके अंतरगत सन्धि जल समझौते से संबंधित सभी पक्षों पर वचिार-वमिरश कथिा जाएगा।

परमुख बदि

- गौरतलब है कथि सन्धि जल समझौते के संबंध में भारत के रुख में नरमी आने का परमुख कारण वशि्व बैंक द्वारा मध्यस्थता करना है।
- पीआईसी की आखरी बैठक पछिले वरष जुलाई 2016 में आयोजित की गई थी। उस समय इस समस्या का सकारात्मक हल नकिलने के आसार नज़र आने लगे थे, परन्तु सतिंबर माह में उरी कांड के पश्चात् भारत सरकार ने इस संबंध में कोई बातचीत करने से इनकार कर दिया था।
- तत्पश्चात् नवंबर 2016 में वशि्व बैंक द्वारा पाकस्तान एवं भारत के मध्य कशिनगंगा (Kishenganga) तथा रतले नदी (Rattle river) जल परयोजनाओं के संबंध में उपजे वविादों के नपिटारे के लयि एक अदालती पंचाट को गठित करने का नगिरय लयिा गया। इस मुद्दे ने एक बार फरि से सन्धि जल समझौता वविाद को चर्चा को वषिय बना दिया।
- परन्तु, भारत ने वशि्व बैंक के इस नरिणय को पाकस्तान के समर्थन में एकपक्षीय नरिणय करार देते हुए इससे अपने कदम वापस खचि लयिा।
- हालाँकि, वशि्व बैंक के अध्यक्ष जमि योंग कमि के इस वविाद में मध्यस्थ बनने के कारण यह मामला सुलझा लयिा गया।

सन्धि नदी जल समझौता के जुड़े कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

- उल्लेखनीय है कथि सन्धि नदी तकरीबन 11.2 लाख किलोमीटर क्षेत्तर में फैली हुई है। इस समस्त नदी क्षेत्तर में: पाकस्तान (47 प्रतशित), भारत (39 प्रतशित), चीन (8 प्रतशित) और अफगानस्तान (6 प्रतशित) शामिल हैं।
- ध्यातव्य है कथि सन्धि जल समझौता 19 सतिंबर, 1960 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू तथा तत्कालीन पाकस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा स्वीकार कथिा गया था।
- उस समय भी इस वविाद की मध्यस्थता वशि्व बैंक द्वारा ही की गई थी।
- इस समझौते के अंतरगत सन्धि नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में वभिाजित कथिा गया। व्यास, रवतिथा सतलज नदियों को पूर्वी नदी बताते हुए इन नदियों को भारत सरकार के क्षेत्त्राधिकार में शामिल कथिा गया जबकि पश्चिमी नदियों सन्धि, चेनाब तथा झेलम को पाकस्तान के क्षेत्त्राधिकार के रूप में चनिहति कथिा गया।
- यह और बात है कथि सन्धि नदी बहती तो भारत में है परन्तु, भारत को इस नदी के केवल 20 फीसदी भाग को ही सचिाई, वदियुत नरिमाण तथा यातायात आदि के रूप में ही प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है।
- कुछ समय पश्चात् इस समझौते के अंतरगत एक स्थायी सन्धि आयोग की स्थापना की गई।
- इसके अलावा समझौते में वविादों का हल ढूँढने के लयि एक तटस्थ वशिषज्ज की मदद लेने या कोर्ट ऑफ आरब्रट्रिशन (Court of Arbitration) में जाने का भी रास्ता शामिल कथिा गया है।

यूएनडीपी की रपिरट

- गौरतलब है कथि कुछ समय पहले सन्धि नदी जल समझौते के सन्दर्भ में यूएनडीपी (United Nations Development Programme - UNDP) द्वारा एक रपिरट प्रस्तुत की गई। इस रपिरट में जल समझौते के सफल क्रयिान्वयन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं के लयि पाकस्तान को ज़मिेदार ठहराया गया है।
- “डेवलमेंट ऐडवोकेट पाकस्तान” (Development Advocate Pakistan) नामक इस रपिरट में यह स्पष्ट कथिा गया है कथि वरष 1990 से इस समझौते के क्रयिान्वयन में पाकस्तान की ओर से हुए वलिंब ने इस समझौते को तनाव की स्थिति में पहुँचा दिया है।
- रपिरट के अनुसार, यह समझौता नमिन् दो महत्त्वपूर्ण बनिदुओं के अनुपालन में पूर्णतया असफल साबति हुआ है, सर्वप्रथम, सूखे वाले वरषों में भारत एवं पाकस्तान दोनों ही कोई बीच का मार्ग नकिल पाने में असमर्थ साबति हुए हैं।
- दूसरा, चेनाब नदी के जल प्रवाह को संचित करने से पाकस्तान पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का उचित अधययन न करना।
- हमेशा से पाकस्तान इस समझौते के औचित्य पर सवाल उठाता आया है। परन्तु भारत की ओर से सदैव इस समझौते के अनुपालन को प्रोत्साहित कथिा गया है।
- रपिरट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों के पिघलने तथा वरषा के बदलते समीकरण ने इस समझौते के उचित क्रयिान्वयन तथा जल संसाधनों के समुचित प्रयोग के महत्त्व को बहुत अधिक बढ़ा दिया है।

- स्पष्ट है कि इन सभी पक्षों के वषिय में सही से वचार न कयि जाने की स्थिति में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था वशिषकर पाकस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-to-attend-lahore-meet-on-indus-waters-treaty>

